

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय भीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 306/2020 दायर दिनांक 20.11.2020

वादी

1. कानाराम पुत्र रामूराम
जाति जाट निवासी
गोदरास, तहसील
डीडवाना जिला-नागौर,
राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. ईश्वरराम पुत्र रामूराम
2. सोहन देवी पुत्री रामूराम
3. लिछमा पुत्री रामूराम
4. हरकु पुत्री रामूराम
5. हणमान पुत्र नारायणराम
6. सुण्डाराम पुत्र नारायणराम
7. आयदानराम पुत्र नारायणराम
8. मोहनराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट
निवासीगण गोदरास तहसील डीडवाना
9. तुलछा देवी पत्नि बालूराम
10. आरती पुत्री जगदेवसिंह
11. पूजा पुत्री जगदेवसिंह समस्त जाति जाट निवासी
सेवा तहसील डीडवाना जिला नागौर
12. सम्पत पत्नि गोविन्दराम
13. रमेश पुत्र गोविन्दराम
14. मनोज पुत्र गोविन्दराम
15. कविता पुत्री गोविन्दराम
16. चौंद पुत्री गोविन्दराम समस्त जाति जाट
निवासीगण गोदरास तहसील डीडवाना
17. मीरा पत्नि रेखाराम जाति जाट निवासी गोदरास
तहसील डीडवाना
18. मनोहरी पुत्री स्व० रेखाराम पत्नि रामदयाल जाति
जाट निवासी गोदरास तहसील डीडवाना
19. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

--: अन्तिम निर्णय ::-

दिनांक 21.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 46 रकबा 4 बीघा, खसरा सं० 53 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 59 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं० 193 रकबा 34 बीघा, खसरा सं० 235 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 257 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद गोदरास की भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 05.08.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1823 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1823 दिनांक 13.09.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 46 रकबा 4 बीघा, खसरा सं० 53 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 59 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं० 193 रकबा 34 बीघा, खसरा सं० 235 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 257 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद गोदरास की भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1823 दिनांक 13.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1823 दिनांक 13.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री व मुकदमों इत्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 306/2020

दायर दिनांक 20.11.2020

वादी

- कानाराम पुत्र रामूराम जाति जाट
निवासी गोदरास, तहसील
डीडवाना जिला-नागौर,
राजस्थान।

प्रतिवादीगण

- ईश्वरराम पुत्र रामूराम
- सोहन देवी पुत्री रामूराम
- लिछमा पुत्री रामूराम
- हरकु पुत्री रामूराम
- हणमान पुत्र नारायणराम
- सुण्डाराम पुत्र नारायणराम
- आयदानराम पुत्र नारायणराम
- मोहनराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट
निवासीगण गोदरास तहसील डीडवाना
- तुलछा देवी पत्नि बालूराम
- आरती पुत्री जगदेवसिंह
- पूजा पुत्री जगदेवसिंह समस्त जाति जाट
निवासी सेवा तहसील डीडवाना जिला नागौर
- सम्पत पत्नि गोविन्दराम
- रमेश पुत्र गोविन्दराम
- मनोज पुत्र गोविन्दराम
- कविता पुत्री गोविन्दराम
- चाँद पुत्री गोविन्दराम समस्त जाति जाट
निवासीगण गोदरास तहसील डीडवाना
- मीरा पत्नि रेखाराम जाति जाट निवासी
गोदरास तहसील डीडवाना
- मनोहरी पुत्री स्व० रेखाराम पत्नि रामदयाल
जाति जाट निवासी गोदरास तहसील
डीडवाना
- तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 21.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से समदयालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 46 रकबा 4 बीघा, खसरा सं० 53 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 59 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं० 193 रकबा 34 बीघा, खसरा सं० 235 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 257 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद गोदरास की भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1823 दिनांक 13.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1823 दिनांक 13.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमों के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसवत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.09.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

67
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डी डवा (गागौर)